

न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन (म.प्र.)
आपराधिक कार्य विभाजन आदेश

क्रमांक— 251 /2025

उज्जैन, दिनांक— 09 APR 2025
 09 APR 2025 /04/2025

मैं अश्विन परमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14 (1) एवं 15 (2)/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 12 (1) एवं 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पूर्व में दिए गए समस्त आदेशों को अपारत करते हुए, उज्जैन जिले में पदरथ न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य आपराधिक कार्य विभाजन के संबंध में निम्नानुसार क्षेत्राधिकार की स्थानीय परिसीमाएं निश्चित करता हूँ :—

यह आदेश दिनांक 09 APR 2025 से प्रभावशील होगा।

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम	स्थानीय क्षेत्र	कार्य का विवरण
1.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन	जिला उज्जैन, देवास एवं शाजापुर	1— माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की अधिसूचना के अनुसार आर्थिक अपराधों से संबंधित आपराधिक प्रकरण।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल)	2— निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरणों, परिवाद पत्रों एवं महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर शेष समस्त आपराधिक प्रकरण :— 1— माधवनगर 2— नानाखेड़ा 3— नागझिरी 4— आबकारी विभाग 5— यातायात 6— एस०टी०एफ० थाना भोपाल की उज्जैन इकाई
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिया	3— नगर पालिका निगम अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण एवं कार्यवाहियां।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिया	4— तहसील उज्जैन एवं घटिया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण जिनका मूल्य रुपये 1,00,00,001/- से अधिक राशि के समस्त।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिया	5— आयकर अधिनियम, ईनामी घिट और धन परिचालन रकीम (पाबंदी) अधिनियम 1978, नापतौल अधिनियम 1983, म.प्र.

			सिनेमा (रेग्यूलेशन) एक्ट 1952, कॉपी राईट एक्ट 1957, प्रदूषण निवारण अधिनियम एवं वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण पुर्नगठन एवं प्रतिभूति हेतु प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिट्या	6- ऐसे समस्त प्रकरण जो विशेष अधिनियम से उत्पन्न हुए हो, जिनका उल्लेख पृथक से अपेक्षित होते हुए, आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है, या जिनके अधीन अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही है।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिट्या	7- खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के, नगर पालिका निगम या नगर पालिका परिषद के द्वारा प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिट्या	8- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 की समस्त कार्यवाहियाँ।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिट्या	9- श्रम आयुक्त कार्यालय उज्जैन से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विभिन्न श्रम अधिनियम से संबंधित प्रकरण।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिट्या	10- भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में आरक्षी केन्द्र माधवनगर, नानाखेड़ा एवं नागझिरी से उद्भूत धारा 52 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	11- सी0जी0एस0टी0 एक्ट से संबंधित प्रकरण / परिवाद।
		जिला उज्जैन	12- माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।
2.	श्रीमती सारिका भाटी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन	तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिट्या	1- ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरण, महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरणों एवं अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को

			<p>छोड़कर, निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :-</p> <p>1— महिला थाना</p>
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिटया	<p>2— कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन के आदेश क्र. 02/एक-15-1/ 2013 उज्जैन दिनांक 03/01/2019 के आदेशानुसार पुलिस थाना मध्यवनगर, नानाखेड़ा, महिला थाना, नागझिरी, घटिटया, जीवाजीगंज, जी.आर.पी. उज्जैन, चिंतामण गणेश एवं नरवर सीमा क्षेत्र में उत्पन्न महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण जिनकी सुनवाई क्षेत्राधिकारिता उन्हें/ न्यायालय को हैं।</p>
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिटया	<p>3— भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में आरक्षी केन्द्र महिला थाना से उद्भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।</p>
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिटया	<p>4— तहसील उज्जैन एवं घटिटया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण जिनका मूल्य रूपये 80,00,001/- से रूपये 1,00,00,000/-तक है।</p>
		जिला उज्जैन	<p>5— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।</p>
3.	श्री राधवेन्द्र पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन	तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिटया	<p>1— ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरण, महिलाओं से संबंधित प्रकरण एवं अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर, निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :-</p> <p>1— महाकाल</p>

		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिटया	2- तहसील उज्जैन एवं घटिटया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण जिनका मूल्य रुपये 60,00,001/- से रुपये 80,00,000/- तक है।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिटया	3- भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में आरक्षी केन्द्र महाकाल से उद्भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	4- माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।
4.	श्री नीरज कुमार प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन	तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिटया	1- ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरण, महिलाओं से संबंधित प्रकरण एवं अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर, निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :- 1- पंवासा
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिटया	2- तहसील उज्जैन एवं तहसील घ टिटया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधि० 1985 (एन०डी०पी०एस०) के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय समस्त प्रकरण।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिटया	3- तहसील उज्जैन एवं घटिटया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले विस्फोटक अधिनियम 1884 के समस्त आपराधिक प्रकरण।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिटया	4- केन्द्रीय श्रम प्रवर्तन कार्यालय उज्जैन की ओर से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विभिन्न श्रम अधिनियम से संबंधित प्रकरण।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी	5- तहसील उज्जैन एवं घटिटया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138

		महल) एवं घटिट्या	परकाम्य लिखत अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण जिनका मूल्य रुपये 50,00,001/- से रुपये 60,00,000/- तक है।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिट्या	6- भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में आरक्षी केन्द्र पंचासा से उद्भूत धारा 52 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिट्या	7- भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में केन्द्रीय नाकॉटिक ब्यूरो (CBN) एवं अन्य विशेष विभाग/ब्यूरो से संबंधित धारा 52 के अंतर्गत सेम्पलिंग एवं निराकरण की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	8- माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।
5.	श्रीमती सोनाक्षी चतुर्वेदी शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन	जिला उज्जैन	1- माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।
6.	श्री अनुराग शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन	तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिट्या	1- ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरण, महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर, निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :— 1- चिमनगंज मण्डी
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिट्या	2- तहसील उज्जैन एवं घटिट्या सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।

		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिट्या	3– तहसील उज्जैन एवं घटिट्या सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक / परिवाद प्रकरण, विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिट्या	4– तहसील उज्जैन एवं घटिट्या सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन व वन्य प्राणी विधि से संबंधित समस्त आपराधिक / परिवाद प्रकरण, विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिट्या	5– तहसील उज्जैन एवं घटिट्या सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण जिनका मूल्य रूपये 45,00,001/- से रूपये 50,00,000/- तक है।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिट्या	6– पुलिस थाना नागझिरी की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त परिवाद पत्र एवं धारा 156 (3) द०प्र०सं० के आवेदन से संबंधित कार्यवाहियां।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिट्या	7– भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में आरक्षी केन्द्र विमनगंज मण्डी से उद्भूत धारा 52 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	8– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।
7.	सुश्री दीपिका यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन	तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिट्या	1– ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरण, महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरणों एवं अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर, निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :– 1– चिंतामण गणेश

		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिटया	2- तहसील उज्जैन एवं घटिटया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण जिनका मूल्य रुपये 40,00,001/- से रुपये 45,00,000/- तक है।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिटया	3- भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में आरक्षी केन्द्र चिंतामण गणेश से उद्भूत धारा 52 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	4- पुलिस थाना माधवनगर की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त परिवाद पत्र एवं धारा 156 (3) द०प्र०सं० के आवेदन से संबंधित कार्यवाहियाँ।
8.	श्री सीताराम दास, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन	तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिटया	5- माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिटया	1- ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरण, महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरणों एवं अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर, निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :- 1- नीलगंगा
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिटया	2- तहसील उज्जैन एवं घटिटया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण जिनका मूल्य रुपये 35,00,001/- से रुपये 40,00,000/- तक है।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिटया	3- भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में आरक्षी केन्द्र नीलगंगा से उद्भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन

			का निराकरण करेंगे।
	तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिटया	4— पुलिस थाना नानाखेड़ा की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त परिवाद पत्र एवं धारा 156 (3) द०प्र०सं० के आवेदन से संबंधित कार्यवाहियाँ।	
	जिला उज्जैन	5— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।	
9.	श्रीमती कोमल अंजना सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन	जिला उज्जैन	1— किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 से उद्भूत समस्त आपराधिक/परिवाद प्रकरण, विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियाँ। <u>(नोटिफिकेशन होने के पश्चात् से)</u>
		जिला उज्जैन	2— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।
10.	श्री अर्पित जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन	तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिटया	1— ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरण, महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरणों एवं अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर, निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :— 1— कोतवाली
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिटया	2— तहसील उज्जैन एवं घटिटया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण जिनका मूल्य रूपये 30,00,001/- से रूपये 35,00,000/- तक है।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिटया	3— भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में आरक्षी केन्द्र कोतवाली से उद्भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।

		जिला उज्जैन	4— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।
11.	सुश्री अपूर्वा मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन	तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिटया	<p>1— ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरण, महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरणों एवं अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर, निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :—</p> <p>1— भेलगढ़</p>
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिटया	<p>2— तहसील उज्जैन एवं घटिटया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण जिनका मूल्य रुपये 25,00,001/- से रुपये 30,00,000/- तक है।</p>
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिटया	<p>3— भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में आरक्षी केन्द्र भेलगढ़ से उद्भूत धारा 52 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।</p>
		जिला उज्जैन	4— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।
12.	सुश्री सृष्टि पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन	तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिटया	<p>1— ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरण, महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर, निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :—</p> <p>1— नरवर</p>
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिटया	<p>2— तहसील उज्जैन एवं घटिटया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अधीन</p>

			<p>प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण जिनका मूल्य रुपये 20,00,001/- से रुपये 25,00,000/- तक है।</p>
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिटया	<p>3- भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार खापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में आरक्षी केन्द्र नरवर से उद्भूत धारा 52 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।</p>
		जिला उज्जैन	<p>4- माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।</p>
13.	श्रीमती पूजा भदौरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन	तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिटया	<p>1- ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरण, महिलाओं से संबंधित प्रकरण एवं अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर, निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :-</p> <p>1- घटिटया</p>
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिटया	<p>2- तहसील उज्जैन एवं घटिटया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण जिनका मूल्य रुपये 15,00,001/- से रुपये 20,00,000/- तक है।</p>
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिटया	<p>3- भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार खापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में आरक्षी केन्द्र घटिटया से उद्भूत धारा 52 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।</p>
		जिला उज्जैन	<p>4- माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।</p>

14.	श्रीमती प्रियंका सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन	तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिटया	<p>1— ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरण, महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर, निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :—</p> <p>1— खाराकुआं</p> <p>2— तहसील उज्जैन एवं घटिटया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण जिनका मूल्य रुपये 10,00,001/- से रुपये 15,00,000/- तक है।</p> <p>3— भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में आरक्षी केन्द्र खाराकुआं से उद्भूत धारा 52 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।</p> <p>4— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।</p>
15.	सुश्री ज्योति फुस्केले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन	तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिटया	<p>1— ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरण, महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर, निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :—</p> <p>1— देवासगेट</p> <p>2— तहसील उज्जैन एवं घटिटया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण जिनका मूल्य रुपये 5,00,001/- से रुपये 10,00,000/- तक है।</p>

		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिटया	3- भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार रवापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में आरक्षी केन्द्र देवासगेट से उद्भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	4- माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।
16.	सुश्री दिव्यानी सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन	तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिटया	1- कार्यालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन के आदेश क्र. 02/एक-15-1/ 2013 उज्जैन दिनांक 03/01/2019 के आदेशानुसार पुलिस थाना चिमनगंजमण्डी, नीलगंगा, महाकाल, पंवासा, एस0टी0एफ0, कोतवाली, भेरुगढ़, देवासगेट एवं खाराकुंआ सीमा क्षेत्र में उत्पन्न महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण जिनकी सुनवाई क्षेत्राधिकारिता उन्हें/न्यायालय को है।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिटया	2- तहसील उज्जैन एवं घटिटया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकार्य लिखत अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण जिनका मूल्य रूपये 1,00,000/- से कम है।
		जिला उज्जैन	3- माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।
17.	श्री राहुल दीवान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन	तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिटया	1- ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरण, महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर, निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :— 1- जी0आर0पी0 उज्जैन
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी	2- तहसील उज्जैन एवं घटिटया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138

		महल) एवं घटिट्या	परकाम्य लिखत अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण जिनका मूल्य रुपये 3,00,001/- से रुपये 5,00,000/- तक है।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिट्या	3- भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में आरक्षी केन्द्र जीवारोपीय उज्जैन से उद्भूत धारा 52 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	4- माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।
18.	सुश्री पारुल जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन	तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिट्या	1- ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरण, महिलाओं से संबंधित प्रकरण एवं अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर, निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :- 1- जीवाजीगंज
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिट्या	2- तहसील उज्जैन एवं घटिट्या सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण जिनका मूल्य रुपये 1,00,001/- से रुपये 2,00,000/- तक है।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिट्या	3- भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में आरक्षी केन्द्र जीवाजीगंज से उद्भूत धारा 52 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	4- माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।

19.	श्रीमती शुभांगी जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन	तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिटया	1— परिवार न्यायालय उज्जैन के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरणों एवं ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर घरेतु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से उद्भुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियाँ।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिटया	2— परिवार न्यायालय उज्जैन के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरणों एवं ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128 तक/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 से 147 तक के अंतर्गत, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत उद्भुत समस्त प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियाँ।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घटिटया	3— तहसील उज्जैन एवं घटिटया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण जिनका मूल्य रूपये 2,00,001/- से रूपये 3,00,000/- तक है।
		जिला उज्जैन	4— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।
तहसील—बड़नगर			
20.	श्री गौरव चौरसिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बड़नगर	तहसील बड़नगर	1— अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों एवं महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :— 1— बड़नगर, 2— भाटपचलाना (तहसील बड़नगर में आने वाला भाग)
		तहसील बड़नगर	2— तहसील बड़नगर सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले वन्य प्राणी एवं वन अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक

			प्रकरण।
		तहसील बड़नगर	3- भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में आरक्षी केन्द्र बड़नगर, भाटपचलाना (तहसील बड़नगर में आने वाला भाग) से उद्भूत धारा 52 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	4- तहसील बड़नगर सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले वन्य प्राणी एवं वन अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।
21.	श्रीमती रिचा गोयल बंसल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बड़नगर	तहसील बड़नगर	1- निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :- 1- इंगोरिया (तहसील बड़नगर में आने वाला भाग)
		तहसील बड़नगर	2- भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में आरक्षी केन्द्र इंगोरिया (तहसील बड़नगर में आने वाला भाग) से उद्भूत धारा 52 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	3- माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।
22.	सुश्री सोनम देहारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बड़नगर	तहसील बड़नगर	1- कार्यालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन के आदेश क. 02/एक-15-1/2013 उज्जैन दिनांक 03/01/2019 के आदेशानुसार तहसील बड़नगर सीमा क्षेत्र में उत्पन्न महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण जिनकी सुनवाई क्षेत्राधिकारिता उन्हें/न्यायालय को है एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से उद्भुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।

		तहसील बड़नगर	2- तहसील बड़नगर सीमा क्षेत्र में उद्भूत होने वाले दं.प्र.सं.की धारा 125 से 128 तक के अंतर्गत, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत आने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।
		तहसील बड़नगर	3- तहसील बड़नगर सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे मामले जो महिला थाना उज्जैन में पंजीबद्ध हुए हो।
		जिला उज्जैन	4- माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।
तहसील-खाचरौद			
23.	श्रीमती शैफाली सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खाचरौद	तहसील खाचरौद	<p>1- कार्यालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन के आदेश क. 02/एक-15-1/2013 उज्जैन दिनांक 03/01/2019 के आदेशानुसार तहसील खाचरौद सीमा क्षेत्र में उत्पन्न महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण जिनकी सुनवाई क्षेत्राधिकारिता उन्हें/ न्यायालय को है एवं घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 से उद्भुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।</p> <p>1- भाटपचलाना (तहसील खाचरौद में आना वाला भाग)</p> <p>2- विरलाग्राम (तहसील खाचरौद में आना वाला भाग)</p>
		तहसील खाचरौद	2- तहसील खाचरौद सीमा क्षेत्र में उद्भूत होने वाले दं.प्र.सं.की धारा 125 से 128 तक के अंतर्गत, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत आने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।
		तहसील खाचरौद	3- तहसील खाचरौद सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे मामले जो महिला थाना उज्जैन में पंजीबद्ध हुए हो।

		तहसील खाचरौद	4— भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में आरक्षी केन्द्र भाटपचलाना (तहसील खाचरौद में आना वाला भाग) व बिरलाग्राम (तहसील खाचरौद में आना वाला भाग) से उद्भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	5—माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।
24.	श्री पंकज बुटानी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खाचरौद	तहसील खाचरौद	1— निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण :— 1— खाचरौद
		तहसील खाचरौद	2— तहसील खाचरौद सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले वन्य प्राणी एवं वन विधियों से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।
		तहसील खाचरौद	3— भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में आरक्षी केन्द्र खाचरौद से उद्भूत धारा 52 क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	4— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।
तहसील—नागदा			
25.	श्री मनीष पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नागदा	तहसील नागदा	1— अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों एवं महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :— 1— नागदा

		तहसील नागदा	2- भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में आरक्षी केन्द्र नागदा से उद्भूत धारा 52 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	3- माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।
26.	श्रीमती सौम्या विजयवर्गीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नागदा	तहसील नागदा	1- अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों एवं महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :— 1- बिरलाग्राम (नागदा तहसील में आने वाला भाग)
		तहसील नागदा	2- भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में आरक्षी केन्द्र बिरलाग्राम (नागदा तहसील में आने वाला भाग) से उद्भूत धारा 52 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	3- माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।
27.	श्रीमती भावना जाटवा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नागदा	तहसील नागदा	1- अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर, निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :— 1- उन्हेल,
		तहसील नागदा	2- कार्यालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन के आदेश क. 02/एक-15-1/ 2013 उज्जैन दिनांक

			03/01/2019 के आदेशानुसार तहसील नागदा सीमा क्षेत्र में उत्पन्न महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण जिनकी सुनवाई क्षेत्राधिकारिता उन्हें / न्यायालय को है एवं तहसील नागदा सीमा क्षेत्र में उत्पन्न महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 से उद्भुत होने वाले समस्त प्रकरण।
		तहसील नागदा	3- तहसील नागदा सीमा क्षेत्र में उद्भूत होने वाले दं.प्र.सं.की धारा 125 से 128 तक के अंतर्गत, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत आने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।
		तहसील नागदा	4- तहसील नागदा सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे मामले जो महिला थाना उज्जैन में पंजीबद्व हुए हों।
		तहसील नागदा	5- भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में आरक्षी केन्द्र उन्डेल से उद्भूत धारा 52 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	6- माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।
28.	श्रीमती सोनम शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नागदा	तहसील नागदा	1- अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों एवं महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :— 1- जी0आर0पी0 चौकी, नागदा
		तहसील नागदा	2- भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में आरक्षी

			<p>केन्द्र जीआरपी० चौकी नागदा से उद्भूत धारा 52 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।</p> <p>जिला उज्जैन</p> <p>3— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।</p>
--	--	--	---

तहसील-तराना

29.	श्री शिरीष शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तराना	तहसील तराना	<p>1— अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर, निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :—</p> <p>1— तराना, 2— माकड़ौन</p>
		तहसील तराना	<p>2— भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में आरक्षी केन्द्र तराना व माकड़ौन से उद्भूत धारा 52 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।</p>
		जिला उज्जैन	<p>3— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।</p>
30.	श्रीमती संगीता शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तराना	तहसील तराना	<p>1— कार्यालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन के आदेश क्रमांक 02/एक-15-1/ 2013 उज्जैन दिनांक 03/01/2019 के आदेशानुसार तहसील तराना सीमा क्षेत्र में उत्पन्न महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण जिनकी सुनवाई क्षेत्राधिकारिता उन्हें/ न्यायालय को है एवं घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 से उद्भुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।</p>
		तहसील तराना	<p>2— तहसील तराना सीमा क्षेत्र में उद्भूत होने वाले दं.प्र.सं.की धारा 125 से 128 तक के अंतर्गत, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम</p>

			1986 के अंतर्गत आने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां।
		तहसील तराना	3— तहसील तराना सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे मामले जो महिला थाना उज्जैन में पंजीबद्ध हुए हो।
		जिला उज्जैन	4— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।
31.	श्री आयुष आरोरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तराना	तहसील तराना	1— अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर, निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :— 1— कायथा
		तहसील तराना	2— भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में आरक्षी केन्द्र कायथा से उद्भूत धारा 52 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	3— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।
		तहसील—महिदपुर	
32.	सुश्री चेतना दशोरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, महिदपुर	तहसील महिदपुर	1— ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरण एवं अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों एवं महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर, निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :— 1—महिदपुर, 2— झारडा
		तहसील महिदपुर	2— भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन

			दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में आरक्षी केन्द्र महिदपुर, झारडा से उद्भूत धारा 52 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।
		जिला उज्जैन	3- माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।
33.	सुश्री ऋतमरा राजे, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी महिदपुर	तहसील महिदपुर	1- कार्यालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन के आदेश क्र. 02/एक-15-1 /2013 उज्जैन दिनांक 03/01/2019 के आदेशानुसार तहसील महिदपुर सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत उद्भुत महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण जिनकी सुनवाई क्षेत्राधिकारिता उन्हें /न्यायालय को है एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अधीन समस्त प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।
		तहसील महिदपुर	2- ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर तहसील महिदपुर सीमा क्षेत्र में उद्भूत होने वाले दंप्र.सं. की धारा 125 से 128 तक के अंतर्गत, मुस्तिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधि० 1986 के अंतर्गत आने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।
		तहसील महिदपुर	3- तहसील महिदपुर सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे मामलें जो महिला थाना उज्जैन में पंजीबद्ध हुए हो।
		जिला उज्जैन	4- माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।
34.	श्री शिवम सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी महिदपुर	तहसील महिदपुर	1- ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरण एवं अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त

			<p>आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :-</p> <p>1— महिदपुर रोड, 2— राघवी</p>
		तहसील महिदपुर	<p>2— भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23/12/2022 अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संशोधन के पालन में आरक्षी केन्द्र महिदपुर रोड व राघवी से उद्भूत धारा 52 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।</p>
		जिला उज्जैन	<p>3— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।</p>

:: सामान्य ::

01. कार्य—विभाजन आदेश के अनुसार उपरोक्त क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभियोग पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन के बिना अनुमति किसी भी अन्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जावेगा।
02. न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने, स्थानान्तरण होने, ट्रेनिंग पर होने, मेटरनीटि लीव/सी०सी०एल० पर होने या अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्तता के कारण अनुपरिधि होने की स्थिति में उनके न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले संक्षिप्त विचारण के मामले अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने की दशा में प्रभारी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश होगे और उस संबंध में उसका केन्द्रीय पंजीयन उसी न्यायालय में होगा, जिस न्यायालय में मामला प्रस्तुत किया जावेगा।
03. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उज्जैन जिले में चलित न्यायालय माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति प्राप्त कर संपादित की जा सकेगी। न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार के अन्दर चलित न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त कर संपादित करेंगे।
04. अंतिम प्रतिवेदन (खात्मा) स्वीकृति हेतु क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जावेंगे, जबकि खारजी से संबंधित सभी कार्यवहियाँ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होंगी।
05. तहसील उज्जैन एवं घटिद्या से उद्भूत होने वाले आबकारी विभाग से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर आबकारी विभाग शेष प्रकरणों को संबंधित तहसील मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

06. यदि स्थायी गिरफ्तारी वारंट से संबंधित प्रकरण वर्तमान में किसी न्यायालय में अन्य आरोपियों के संबंध में लंबित है, तो वारंट और आरोपी को उसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा, जिस न्यायालय में वह प्रकरण लंबित है। प्रकरण लंबित नहीं होने की स्थिति में, स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाला न्यायालय या उसका पद उत्तरवर्ती न्यायालय अस्तित्व में है, तो गिरफ्तारी वारंट तामीली के पश्चात उसी न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेंगे (उत्तरवर्ती न्यायालय का निर्धारण सिविल पदनाम के आधार पर सिविल प्रभार आदेश अनुसार किया जावेगा)। अन्य किसी परिस्थिति में सिविल प्रभार आदेश अनुसार संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
07. माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय एवं अन्य वरिष्ठ न्यायालयों से प्राप्त आदेश/निर्णय से संबंधित कार्यवाही तथा निराकृत किसी अन्य प्रकरण से संबंधित विविध आवेदन, अर्थदण्ड/प्रतिकर/अन्य राशि जमा करने, अर्थदण्ड/प्रतिकर/अन्य राशि की वापसी आदि के आवेदन प्रस्तुत होने की स्थिति में, यदि प्रकरण से संबंधित न्यायालय या उसका पद उत्तरवर्ती न्यायालय अस्तित्व में है, तो ऐसी कार्यवाही एवं/या आवेदन उसी न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेंगे। अन्य स्थितियों में ऐसी कार्यवाही एवं/या आवेदन जिस पुलिस थाना से संबंधित है, उसी पुलिस थाने से संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।
08. कंडिका 5 एवं 6 के संबंध में लेख है कि पूर्ववर्ती मजिस्ट्रेट के स्थान पर, या उसके पश्चात कमानुसार पदस्थ होने वाला मजिस्ट्रेट पद उत्तरवर्ती माना जायेगा। जहां यह ज्ञात नहीं हो कि कंडिका 5 एवं 6 की कार्यवाही वाले अधिकारी का पद उत्तरवर्ती न्यायालय कौन है, तो वहां प्रकरण या कार्यवाही या पत्रावली जिस पुलिस थाने से संबंधित है, उसी पुलिस थाने से संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।
09. किसी/किन्हीं न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थानान्तरण अथवा अवकाश पर रहने की स्थिति में प्रभारी मजिस्ट्रेट कंडिका कमांक 2 के अनुसार संक्षिप्त प्रकरणों के निराकरण के साथ-साथ उक्त न्यायालय के समस्त दांडिक कार्य करेंगे, जिसमें सुपुर्दगी एवं जमानत आवेदन का निराकरण, रिमाण्ड कार्यवाही का करना, अभियोग पत्र का ग्रहण करना तथा प्रतिलिपि के आवेदन मंजुर करना भी शामिल है।
10. शरीर के प्रति कारित अपराधों से उद्भूत कॉस प्रकरणों को उपार्पित करने की दशा में कॉस प्रकरण को भी उसी के साथ उपार्पित/प्रेषित किया जाये और कॉस प्रकरण न होने की दशा में आदेश पत्रिका में इस तथ्य का उल्लेख करें।
11. किसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने की अवस्था में कोई साक्षी 5 वर्ष से पुराने मामले में साक्ष्य हेतु उस न्यायालय में

उपरिथित होता है, तब उस साक्षी की साक्ष्य उस न्यायालय के द्वारा ली जावेगी, जिसके पास उस न्यायालय का प्रभार होगा।

12. अपंजीकृत परिवादों को पंजीयन के प्रक्रम पर आने के पश्चात् अपवादित दशाओं को छोड़कर, एक माह में पंजीकृत करने का प्रयास किया जावे।
13. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रेषित की जाने वाली ऐसी विवध कार्यवाही/मामले, जिनका कि उल्लेख कार्यविभाजन पत्रक में नहीं है, का निराकरण उन्हें प्रेषित किए जाने वाले न्यायालयों के द्वारा किया जावेगा।
14. संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (धारा 25 से 28) सहपठित परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित परिवाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार, उक्त आपराधिक कार्य विभाजन आदेश में उल्लेखित परकाम्य लिखत अधिनियम की धनीय (राशि) सीमा संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय को रहेगा।
15. दिनांक **09 APR 2025** के पूर्व के समस्त आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक एवं उसके पश्चात् किये गये संशोधन निरस्त समझे जायेंगे।
16. यह कार्यविभाजन पत्रक आगामी कार्यविभाजन पत्रक के प्रभाव में आने तक प्रभावशील रहेगा।

अनुमोदित

राजेश कुमार गुप्ता
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म0प्र0)

अश्विन परमार
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उज्जैन (म0प्र0)


प्रतिलिपि :-

क्रमांक- 251 /2025

उज्जैन, दिनांक- 04/04/2025

- 1- माननीय उच्च न्यायालय म0 प्र0 जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक डी/3175/तीन-10-48 /98 जबलपुर दिनांक 09-सितम्बर-2009 के पालन मे सादर प्रेषित।
- 2- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 3- माननीय श्री/श्रीमती अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन/खाचरौद/नागदा/महिदपुर/तराना एवं बड़नगर की ओर ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 4- श्री/श्रीमती/कु. ए.सी. जे.एम./जे.एम.एफ.सी.उज्जैन/खाचरौद/नागदा/बड़नगर/तराना/महिदपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 5- अध्यक्ष अभिभाषक संघ उज्जैन/खाचरौद/नागदा/बड़नगर/तराना/महिदपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- जिला अभियोजन अधिकारी उज्जैन की ओर इस निर्देश के साथ कि जिले के समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित करें।

- 7- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण जिला उज्जैन को ई.मेल द्वारा सुधित करने हेतु एवं जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सिस्टम आफिसर जिला न्यायालय उज्जैन को प्रेषित।


(अश्विन परमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उज्जैन (म0प्र0)